संख्याः 188 /I/2005-6(1)/39/2005

प्रेषक,

डॉ0 एम0सी0 जोशी,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,
उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि0
देहरादून।

ऊर्जा विभाग, देहरादूनः दिनांकः ५ फरवरी, 2006

विषयः— वित्तीय वर्ष 2005–06 में निजी नलकूपों/पम्पसैटों के ऊर्जीकरण/विद्युत संयोजन हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 2535/I/2005-6(1)/39/2005 दिनांक 07.07.2005 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निजी नलकूपों/पम्पसैट के ऊर्जीकरण/विद्युत संयोजन हेतु रू0 4,22,00,000.00 (रू0 चार करोड़ बाईस लाख मात्र) की धनराशि अनुदानान्तर्गत उपलब्ध बचतों में सलग्न बी0एम0–15 के विवरणानुसार पुनर्विनियोजन के माध्यम से अनुदान के रूप में निम्न शर्तो के अधीन व्यय करने हेतु आपके निर्वहन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1– उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा अपने हस्ताक्षर से तैयार एवं जिलाधिकारी, देहरादून से प्रतिहस्ताक्षरित बिल कोषागार, देहरादून में प्रस्तुत कर किया जायेगा।

2– धनराशि का आहरण एक मुश्त न करके आवश्यकतानुसार ही किया जायेगा।

3– इस वर्ष एवं गत वर्षो में इस योजना हेतु आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा विकासखण्ड/जनपदवार लाभार्थियों की सूची व उनके सापेक्ष व्यय धनराशि का विवरण दिनांक 31.03.2006 तक शासन को पुस्तिका के रूप में उपलब्ध करा दिया जायेगा। यदि कोई धनराशि शेष बची हो तो उसका विवरण भी कारण सहित शासन को उक्त तिथि तक उपलब्ध करा दिया जायेगा।

4– आवश्यक सामग्री का भुगतान सम्बन्धित फर्म से प्राप्त सामग्री की जांच के उपरान्त ही किया जायेगा तथा सामग्री का गुणवत्ता के लिये सक्षम अधिकारी को अधिकृत किया जायेगा, जो इस हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। स्वीकृत धनराशि का अन्यत्र उपयोग न किया जाय। इस योजना में एस0सी0पी0 व टी0एस0पी0 के लाभार्थियों को अधिकाधिक लाभान्वित किया जायेगा और न्यूनतम इन श्रेणी की राज्य में जनसंख्या के अनुपात अथवा इस हेतु निर्धारित योजना (इनमें से जो भी अधिक हो) के अनुसार अवश्य लाभान्वित किया जायेगा। इस हेतु पृथक सूची/विवरण भी यथासमय शासन को पृथक से उपलब्ध कराई जायेगी। प्रत्येक त्रैमास के अंत में एवं माहवार भौतिक एवं वित्तीय प्रगति शासन को उपलब्ध करायी जायेगी, जिसमें एस0सी0पी0/टी0एस0पी0 की प्रगति अलग से दी जायेगी तथा विकासखण्डवार लाभार्थियों का विवरण व व्यय धनराशि की सूचना अवश्य दी जायेगी।

5– शासनादेश सं0 181/नौ–3–ऊ/2003, दिनांक 30.01.2003 में दिये गये सामान्य निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही की जायेगी एवं उसके संलग्न प्रारूप पर प्रार्थना पत्र प्राप्त किये जायेंगे। इस हेतु सर्वप्रथम लम्बित प्रार्थना पत्रों का निस्तारण प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

6– व्यय करने से पूर्व जिन मामलों/योजनाओं पर बजट मैनुअल, फाईनेन्सियल हेण्ड बुक, स्टोर पर्चेज सम्बन्धी अन्य सुसंगत नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी की प्राविधिक स्वीकृति आवश्यक है, इसमें वह प्राप्त करके ही कार्य प्रारम्भ किये जायेंगे।

7– यदि उक्त कार्यो में निर्माण कार्य कराये जाते हैं तो इनके आगणन बनाकर उस पर सक्षम स्तर की तकनीकी परीक्षण के उपरान्त सक्षम तकनीकी अधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही धनराशि का आहरण किया जाय।

...2

8– नलकूप लगाये जाने से पूर्व लाभार्थियों से इस बात की लिखित वचनबद्धता ले ली जायेगी कि उक्त ऊर्जित नलकूपों के अनुरक्षण का पूर्ण दायित्व उन्हीं का होगा और इनके चालू रखने के लिये विभाग द्वारा रोफगार्ड भी अपनाया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही निजी नलकूप संयोजन इस प्रतिबन्ध के साथ निर्गत किया जाय कि उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि0, सिंचाई विभाग अथवा भू–जल सर्वेक्षण विभाग, जैसी भी स्थिति हो, से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे कि भूगिगत पानी के परिप्रेक्ष्य में नलकूप निर्माण हेतु कोई तकनीकी बाध्यता/रोक नहीं है। इस योजना के अन्तर्गत एक बार ऊर्जित नलकूप का पुनः उसी योजना के अन्तर्गत ऊर्जीकरण नहीं किया जायेगा।

9– यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि सम्बन्धित ट्यूबवैलों में ऊर्जा संरक्षण/विद्युत सुरक्षा के पूर्ण उपाय किये जायेंगे तथा संयोजन इलैक्ट्रानिक मीटर युक्त होगा।

10– व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा जिनके लिये स्वीकृत किया जा रहा है।

11– कार्य की गुणवत्ता एवं सम्बद्धता हेतु यूपीसीएल पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

12– उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण उपयोग के उपरान्त अब एवं पूर्व स्वीकृत धनराशि से ऊर्जीकृत समस्त पम्पों की लाभार्थीवार विवरण सहित (लागत व व्यय सूचना सहित) सूचना शासन को उपलब्ध करायी जायेगी। यह सूची सामान्य व एस0सी0पी0/टी0एस0पी0 वार अलग–अलग दी जायेगी।

13– स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण कर पी0एल0ए0 में रखी जायेगी, जिसका आहरण यथा आवश्यकता ही किया जायेगा और मासिक रुप से योजना की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं ऊर्जीकरण की संख्या का विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

14– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या 21 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2801–बिजली–06–ग्रामीण विद्युतीकरण–अयोजनागत–800–अन्य व्यय–04–निजी नलकूप/पम्पसैट में विद्युत संयोजन योजना–00–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।

2– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या 113/XXVII(3)/2005, दिनांक 28 जनवरी, 2006 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्न– पी0एम0–15

भवदीय,

(डॉ0 एम0सी0 जोशी)
अपर सचिव

संख्या: 188 /I/2005-6(1)/39/2005, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– महालेखाकार, उत्तरांचल ।
2– मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
3– कोषाधिकारी, देहरादून।
4– समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल ।
5– वित्त अनुभाग–2/नियोजन विभाग/एन0आई0सी0, उत्तरांचल शासन।
6– श्री एल0एम0 पंत, अपर सचिव, वित्त, उत्तरांचल शासन।
7– प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाने हेतु।
8– गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(डॉ0 एम0सी0 जोशी)
अपर सचिव

बी०एम०-15

पुनर्विनियोग 2004-2005 आयोजनागत अनुदान सं०-21

नियन्त्रक अधिकारी-सचिव-ऊर्जा विभाग

(रू० हजार में)

बजट प्राविधान तथा लेखाशीर्षक का विवरण	मानक मदवार अध्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष के शेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष सरप्लस धनराशि	लेखाशीर्षक जिसमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है।	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ 5 की कुल धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ 1 में कुल अवशेष धनराशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
2801- बिजली 05- पारेषण एवं वितरण 190- सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश 01- केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें 01- एपीडीआरपी योजना के अन्तर्गत सहायता 20- सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 900000	-	857800	42200(क)	2801- बिजली 06- ग्रामीण विद्युतीकरण 800- अन्य व्यय 04- निजी नलकूप/पम्पसेट में विद्युत संयोजन योजना 20- सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता 42200(क)	64700	857800	(क) केन्द्र सरकार से धनराशि प्राप्त न होने के कारण (ख) मद मुख्य मंत्री जी की घोषणा के अनुसार बजट व्यवस्था न होने के कारण।
योग-				42200			

प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के पैराग्राफ-150,151,155,156 में उल्लिखित सम्बन्धों का एवं प्राविधानों का उल्लंघन नहीं होता है।

(डा० एम०सी० जोशी)
अपर सचिव

उत्तरांचल शासन
वित्त अनुभाग-2
संख्या 113/XXVII(2)/2006
देहरादून, दिनांक 2 फरवरी, 2006

पुनर्विनियोग स्वीकृत

टी.एन. सिंह
अपर सचिव, वित्त

संख्या 183 /1/2005-05.02/04, दिनांक 5 फरवरी 2006
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1- महालेखाकार, उत्तरांचल।
2- मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
3- कोषाधिकारी, देहरादून।
4- समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
5- वित्त अनुभाग-2/नियोजन विभाग/एन०आई०सी०/गार्ड फाईल।

(डा० एम०सी० जोशी)
अपर सचिव